छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा प्रथम सत्र अंक-15

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 2, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08, 09, 12, 14 से 16, 19 से 23 (कुल 17) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 07, 10, 11, 13, 17, 18, 24 एवं 25 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री बघेल लखेश्वर, धर्मजीत सिंह, रामपुकार सिंह ठाकुर, विनोद सेवनलाल चन्द्राकर, शिशुपाल सोरी, दलेश्वर साहू, भीमा मण्डावी एवं अरूण वोरा अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 37 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (दिनांक 1 जुलाई,2017 से 30 जून, 2018 तक)

(2) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार :-

(i) बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 एवं

(ii) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन (1 जुलाई, 2017 से 30 जून, 2018)

पटल पर रखे ।

3. पृच्छा

(1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, अजय चन्द्राकर, सदस्य ने प्रदेश में स्वाईन फ्लू का प्रकोप होने संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा की मांग की ।

अध्यक्ष महोदय ने कथन किया कि आपका ध्यानाकर्षण आज ही मिला है । मैं इस पर चर्चा कराऊंगा ।

(2) माननीय अध्यक्ष द्वारा ध्यानाकर्षण हेतु श्री दलेश्वर साहू का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य श्री देवव्रत सिंह द्वारा यह उल्लेख किया गया कि माननीय सदस्य द्वारा मुझे पत्र लिखा गया है ।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि माननीय सदस्य ने आपको पत्र लिखा है, लेकिन ध्यानाकर्षण सूचना हेतु अधिकृत करने का अधिकार माननीय सदस्य को नहीं है ।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री दलेश्वर साहू, (अनुपस्थित) ।

(2) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य ने जिला-कोरबा अंतर्गत एस.ई.सी.एल. द्वारा हसदेव तट नहर की दिशा परिवर्तित किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री रविन्द्र चौबे, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री विनय कुमार भगत

(2) श्रीमती इन्दु बंजारे

(3) श्री आशीष कुमार छाबड़ा

6. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री ने परिवहन से संबंधित मांग संख्या-36, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-21, वन से संबंधित मांग संख्या-10 एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-39 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-36 पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, मांग संख्या-21 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, अजीत जोगी, प्रमोद कुमार शर्मा, मांग संख्या-10 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, अजीत जोगी, धर्मजीत सिंह, केशव प्रसाद चंद्रा, सौरभ सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, एवं मांग संख्या-39 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, अजीत जोगी, केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।

श्री सौरभ सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री बृहस्पत सिंह, अजय चन्द्राकर, रेखचन्द जैन, देवव्रत सिंह, केशव प्रसाद चन्द्रा,

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

श्रीमती ममता चन्द्राकर, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, श्रीमती छन्नी चन्दू साहू, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री विक्रम शाह मण्डावी, डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री विकास उपाध्याय

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नारायण चंदेल।

श्री मोहम्मद अकबर वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय से संबंधित मांग संख्या-22, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण से संबंधित मांग संख्या-69, नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता से संबंधित मांग संख्या-81 एवं श्रम से संबंधित मांग संख्या-18 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-22 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ.रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री केशव प्रसाद चन्द्रा, प्रमोद कुमार शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, मांग संख्या-69 पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, सौरभ सिंह, मांग संख्या-81 पर सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा एवं मांग संख्या-18 पर सर्वश्री अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह, देवव्रत सिंह, शिवरतन शर्मा, केशव प्रसाद चंद्रा सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा चर्चा हेतु श्री नारायण चंदेल, सदस्य का नाम पुकारा गया ।

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल ने कथन किया कि महापुरूषों के नाम से संचालित योजनाओं के नाम परिवर्तित करने के कारण हम माननीय मंत्री जी के विभाग की चर्चा में भाग नहीं लेंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। ।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि चूंकि आप सदन में रहेंगे भी और भाग भी नहीं लेंगे, आपका यह फैसला उचित नहीं है । इसमें आप अपनी बात रखें और इस पर पुनर्विचार करें।

7. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि आज सदन में माननीय डॉ.शिवकुमार डहरिया, मंत्री जी की विभागों की मांगों पर चर्चा हो रही है । जिस पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, सदन में उपस्थित रहकर चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं । मैं समझता हूं कि यह उचित संसदीय परम्परा नहीं है । लोकतंत्र में विभिन्न कारणों से परस्पर असहमति हो सकती है और मतभेद भी हो सकते हैं मैं माननीय सदस्यों के उक्त आचरण के संबंध में कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह अवश्य विचारणीय है कि सदन में उपस्थित रहकर भाग न लेना, उचित नहीं कहा जा सकता । मगर पूर्व में भी ऐसे उदाहरण हैं कि एक दो अवसर पर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने कार्यवाही में सदन में उपस्थित रहते हुए भी भाग नहीं लिया । अत: अगर माननीय सदस्य भाग नहीं ले रहे हैं, तो भी सदन में माननीय मंत्री जी की मांगों पर चर्चा होगी,चर्चा जारी रहेगी। इसे नहीं रोका जा सकता ।

8. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदय (श्री अमरजीत भगत) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री प्रमोद कुमार शर्मा, केशव प्रसाद चंद्रा, शैलेष पाण्डेय, श्रीमती इन्दू बंजारे, श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, श्री देवेन्द्र यादव,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रेखचन्द जैन,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 5(3) का कार्य पूर्ण होने तक समय वृद्धि की घोषणा की ।)

डॉ. विनय जायसवाल, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, देवव्रत सिंह

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्रीमती अनिला भेंड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-55 एवं समाज कल्याण से संबंधित मांग संख्या-34 प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-55 पर सर्वश्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्रीमती इन्दू बंजारे

श्रीमती अनिला भेंड़िया, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.40 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी, 2019 (फाल्गुन-3, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा